राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1544/2012/बूंदी.

मैसर्स सिंघल कंस्ट्रक्शन, नैनवा–बूंदी रोड़, देई, बूंदी. ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बूंदी. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 04/वैट/2011–12/बून्दी में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बूंदी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 के बिक्री विवरण प्रपत्रों में किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं करना बताते हुए वार्षिक टर्नओवर शून्य बताया गया था, साथ ही कोई खरीद भी नहीं बताई गई थी। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कोलाहेड़ा तहसील नैनवा जिला बूंदी की जांच की जाने पर यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा विभिन्न बिलों के माध्यम से रूपये 18,12,995/– का सीमेन्ट, पाईप एवं ग्रेवल की सप्लाई की है एवं इन बिलों में रूपये 57,968/– का वैट भी वसूल किया है। इन तथ्यों के प्रकाश में आने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सम्मन जारी कर इस तरह उचन्ति बिक्री किये जाने के अपराध में कर के साथ शास्ति एवं ब्याज आरोपित कये जाने का प्रस्ताव किया गया था तब अपीलार्थी की ओर से यह जवाब दिया गया था कि अपीलार्थी द्वारा जो माल खरीद किया गया है वह विक्रेता व्यवसायियों ने दर्शाया हुआ है एवं अपीलार्थी का इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से अधिक होने के कारण अपीलार्थी

लगातार................2

14/12/17

का कोई कर दायित्व नहीं होने के कारण विवरण—पत्र में शून्य बिक्री प्रदर्शित कर दी थी, साथ ही जवाब में आई.टी.सी. का भी समायोजन देने की प्रार्थना के साथ पुनः संशोधित विवरण—पत्र प्रस्तुत किये गये, जो दिनांक 07.03.2011 को प्रस्तुत किये गये थे। इस तरह विभाग द्वारा कर चोरी के मामले में अनुसंधान के तहत दस्तावेज रेकॉर्ड पर लिये जाने के पश्चात् दिये गये जवाब को अस्वीकार कर विधिक कर एवं वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई। जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है जिसमें कर एवं आरोपित शास्ति को यथावत रखा गया है। परन्तु आई.टी.सी. का समयोजन देने के लिये विधिसम्मत कार्यवाही हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चूंकि बाद में संशोधित विवरण—पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अतः शास्ति को अपास्त किया जावे एवं उनको आई.टी.सी. का समयोजन दिया जावे।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि आई.टी.सी. के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं है एवं वे स्वयं कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर समायोजन हेतु प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट में कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नियमित रूप से आवश्यक विवरण—पत्र प्रस्तुत करते समय जानबूझकर अपनी बिक्रियों को छिपाते हुए कर चोरी की योजना के साथ शून्य बिक्री दर्शाई गई थी, परन्तु ग्राम पंचायत कोलाहेड़ा की जांच पर यह तथ्य सामने आया कि अपीलार्थी द्वारा रूपये 18,12,995/— का कर योग्य माल ग्राम पंचायत को एवं अन्य बिक्रियों सहित कुल रूपये 29,64,711/— विक्रय किया था एवं उक्त बिक्री पर वैट की भी वसूली की गयी थी। परन्तु जानबूझकर इसको छिपाते हुए शून्य विक्रय के विवरण—पत्र प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो कर एवं करापवंचन के प्रमाणित अपराध पर शास्ति आरोपित की गयी है वह विधिसम्मत है। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है। फलतः इस आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

14/12/17

लगातार................3

7. मेरे समक्ष अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मूल रूप से आई.टी.सी. का समायोजन देने का अनुरोध किया है। उस सम्बन्ध में यह पाया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में वेट अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को आई.टी.सी. का क्लेम देने एवं उस अनुसार ब्याज कम किये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की इस बिन्दु पर की गई अपील पूर्व में ही स्वीकार होने से इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि कर अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार आई.टी.सी. के समायोजन की कार्यवाही करने के निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिये जाते हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

14/12/17

(के. एल. जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य